फार्मेट–6

क्रमांक / जैवि. प्रकोष्ठ / वि.व........../   दिनांक ....

वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की पहुंच / प्राप्ति का प्रमाण पत्र
(अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु)

प्रति,

....

....

....

विषय:- म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के नियम–17 के प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों तक पहुंच / प्राप्ति   बावत्।

संदर्भ:- 1. आपका आवेदन दिनांक .... कार्यालयीन आवक क्र. .... दिनांक ....

2. ***अभिस्वीकृति क्र.*** MPSBB/BABSC/Division Code----/Financial Year----/Sr.No-----दिनांक.......... ....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में, इस कार्यालय द्वारा अनुबंध दिनांक .... के अधीन वाणिज्यक उपयोग हेतु निम्न जैव संसाधनों को प्राप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

क्र.	जैव संसाधन का नाम	मात्रा (किलो ग्राम) में	प्रस्तावित संग्रहण की भौगौलिक स्थिति	अवधि (महीनों का नाम)
1	2	3	4	5
1				जारी दिनांक से अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक * कृपया वित्तीय वर्ष अंकित करते हुए प्रमाण–पत्र जारी करे
2				
3				

आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष .... हेतु लाभ प्रभाजन राशि रू. ..../- (राशि शब्दों में) का भुगतान ड्राफ्ट / चैक / आर.टी.जी.एस / ऑनलाइन हस्तांतरण (क्र...... दि..........के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी के पास) / आरटीजीएस के माध्यम से म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के खाते में दिनांक.................... को जमा किया गया है।

कृपया निम्न शर्तो का पालन सुनिश्चित करें :–

1. जैवसंसाधनों की प्राप्ति हेतु अनुमोदित मात्रा वर्णित सीमा तक लागू होगी। यदि अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा में जैव संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो इस कार्यालय को लिखित सूचना देकर अतिरिक्त अनुज्ञा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. आवेदक जैवसंसाधनों के क्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (नाम / पता / फोटो) का विवरण इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा एवं सत्यापित परिचय पत्र प्राप्त करेगा।
3. यदि जैवविविधता प्रबंध समिति द्वारा संग्रहण शुल्क लिया जाता है तो निर्धारित दर अनुसार संग्रहण शुल्क के भुगतान उपरान्त ही आवेदक को क्षेत्र में जैवसंसाधनों तक पहॅुच या संग्रहण की अनुमति होगी। जो कि लाभ प्रभाजन राशि के अतिरिक्त होगी।

4. आवेदक द्वारा अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित जैवसंसाधन की जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–1टी में अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक इस कार्यालय में प्रेषित करना होगी। कार्यालय द्वारा एबीएस राशि की गणना कर आवेदक को सूचित किया जायेगा। जिसका भुगतान अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा आगामी वित्तीय वर्षों हेतु अनुबंध निरस्त माना जावेगा।

5. आवेदक द्वारा अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैवसंसाधनों के संग्रहण का वास्तविक वार्षिक विवरण परिशिष्ट–3 (प्रमाणित दस्तावेज़ों सहित) एवं परिशिष्ट–4 (शपथ पत्र) अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक प्रस्तुत करना होगा। जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुबंध के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लाभ प्रभाजन राशि का समायोजन अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, के पूर्व किया जायेगा।

6. आवेदक द्वारा जैवसंसाधनों का क्रय वैध तरीके से किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि व्यापार अवैध तरीके से किया गया है तो जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा एवं जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

7. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 18 एवं 19 के तहत यदि संबंधित व्यापारी के द्वारा जैवसंसाधनों की प्राप्ति से जैवविविधता संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा संवहनीय न होने की स्थिति में अनुबंध को पुनरीक्षित अथवा निरस्त किया जावेगा।

8. यदि उपरोक्त वर्णित जैवसंसाधनों में से कोई जैवसंसाधन म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम 2005 के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में निषिद्ध की जाती है तो यह अनुमति उस जैव संसाधन के संदर्भ निषिद्ध अवधि के लिए **अमान्य और शून्य (Null & Void)** मानी जायेगी।

9. अनुबंध/प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, द्वारा प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञा को निरस्त करने के साथ–साथ जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–56, 57 के अधीन दांडिक कार्यवाही की जावेगी।

(सील एवं हस्ताक्षर)
वनमण्डलाधिकारी व
पदेन सहायक सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
क्षेत्रीय वनमण्डल.........................

पृष्ठांकन क्र/जैवि. प्रकोष्ठ/वि.व........../ दिनांक ....
प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
2. मुख्य वनसंरक्षक, व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड वनवृत्त ....जिला – .... (म.प्र.)
3. सभी संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी...................../उपवनमंडलाधिकारी.....................क्षेत्रीय वनमण्डल ....जिला ....(म.प्र) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सील एवं हस्ताक्षर)
वनमण्डलाधिकारी व
पदेन सहायक सदस्य सचिव
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड
क्षेत्रीय वनमण्डल.........................